राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 2( )/परावि/प्रशा.1/विविध/2019/1593 जयपुर, दिनांक 08/04/2019

1. जिला कलेक्टर
   समस्त राजस्थान
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद् (समस्त राजस्थान)

विषय :– ग्राम पंचायत महिला शक्ति समूह के गठन के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत महिला शक्ति समूह का गठन किया जावे। समूह के गठन एवं कार्य संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. ग्राम पंचायत महिला शक्ति समूह की संरचना निम्नानुसार होगी :–

(i)	सरपंच ग्राम पंचायत	– पदेन संरक्षक
(ii)	उप सरपंच ग्राम पंचायत	– पदेन उपसंरक्षक
(iii)	सरपंच द्वारा मनोनीत एक शिक्षित/साक्षर महिला वार्ड पंच	– संयोजक
(iv)	सरपंच द्वारा मनोनीत एक शिक्षित/साक्षर महिला वार्ड पंच	– सहसंयोजक
(v)	ग्राम विकास अधिकारी	– पदेन सदस्य सचिव
(vi)	ए.एन.एम., आशा सहयोगिनी एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता	– पदेन सहसदस्य सचिव
(vii)	समस्त महिला वार्डपंच	– पदेन सदस्य
(viii)	राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन/ग्राम संगठन/ स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष	– पदेन सदस्य
(ix)	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त महिला कार्मिक	– पदेन सदस्य
(x)	सरपंच द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 जागरूक महिला कार्यकर्ता	– सदस्य

2. महिला शक्ति समूह की बैठक ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को होने वाली बैठक के तुरन्त बाद सम्पन्न की जावेगी।
3. महिला शक्ति समूह का कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा महिला विकास एवं कल्याण की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें इससे लाभान्वित करने हेतु सक्रिय प्रयास करना होगा। समूह किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित महिला एवं बच्चों को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता एवं अन्य विभागों से जुड़ी कोई राजकीय सहायता उपलब्ध कराने तथा मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार करने हेतु कार्य करेगा।
4. इस समूह द्वारा आवश्यकता अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कार्यरत विधिक स्वयंसेवक से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। विधिक स्वयंसेवक द्वारा पंचायत समिति स्तर पर संचालित विधिक सेवा क्लीनिक के सहयोग से उत्पीडित व्यक्ति को सहायता प्रदान की जायेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के आयोजन का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15 अगस्त 2019 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। उक्त ग्राम सभा में ग्राम पंचायत महिला शक्ति समूह के गठन का अनुमोदन आवश्यक रूप से करवाया

कमरा नं. 8041, उत्तरी–पश्चिमी भवन, सचिवालय, जयपुर दूरभाष संख्या 0141–2227004 ईमेल – prsecretaryrdpr@gmail.com

जावे। इसी ग्राम सभा में महिला शक्ति समूह के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी भी ग्रामवासियों को दी जावे ताकि महिलाएं अधिकाधिक संख्या में अपनी समस्याओं तथा मुद्दों से अवगत करा सकें।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला अधिकारिता विभाग से सम्पर्क स्थापित कर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के दिन ही महिला शक्ति समूह की महिलाओं एवं अन्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं विकास योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करावें।

7. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.10.2012 के क्रम में गठित महिला सभाओं के आयोजन पर विशेष फोकस किया जायेगा (परिशिष्ट–1)। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने वाले महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के दिन महिला सभा का आवश्यक रूप से आयोजन किया जावे। बैठक की अध्यक्षता एवं सहभागिता महिलाओं के द्वारा की जावेगी। महिला सभा में समसामयिक महिला मुद्दों पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में प्रासंगिक चर्चा हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हो सकते हैं :–

   (क) सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पहले मातृत्व, महिलाओं के लिए भोजन एवं चिकित्सा सेवा के लिए अपर्याप्त प्रबन्ध पर चर्चा करना

   (ख) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गत कुछ वर्षों में लड़कों एवं लड़कियों की जन्म दर एवं महिलाओं के मुकाबले अधिक संख्या में पुरूष होने के दुष्परिणाम, गैरकानूनी भ्रूण का लिंग निर्धारण तथा बालिका भ्रूण हत्या रोकथाम का प्रयास।

   (ग) राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित की जा रही महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं पर विचार–विमर्श एवं इनकी जानकारी आम महिला तक पहुंचाये जाने के प्रयासों एवं बाल अधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में भी चर्चा करना।

   (घ) ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में आंवटित राशि का कम से कम 40 प्रतिशत राशि का व्यय महिला एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए किये जाने की समीक्षा करना।

8. पंचायती राज संस्थाओं की साधारण सभा के स्थाई एजेण्डे में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित मुद्दों को शामिल कर उन पर चर्चा की जावेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा जिला महिला सहायता समिति प्रशासनिक सुधार, (अनुभाग–3) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6 (32)/प्र.सु/अनु.–3/97 दिनांक 15.11.2013 के माध्यम से महिला शक्ति समूह द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

9. महिला शक्ति समूह के गठन एवं कियान्वयन की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं ब्लॉक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे। उक्त समूहों के गठन की सूचना सॉफ्ट कॉपी (MS-Excel) निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 16 अगस्त, 2019 को सांयकाल 5 बजे तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें:–
   (rajpr.dsadm1@rajasthan.gov.in)

जिले का नाम	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ग्राम विकास अधिकारी का नाम मय मोबाईल नं.	महिला शक्ति समूह के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का विवरण		
				नाम	पदनाम	मोबाईल नं.

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. राज्य मिशन निदेशक, राजीविका मिशन, राजस्थान, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा–1)

कमरा नं. 8041, उत्तरी–पश्चिमी भवन, सचिवालय, जयपुर दूरभाष संख्या 0141–2227004 ईमेल – prsecretaryrdpr@gmail.com